<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव कोर्ट, पोक्सो एक्ट)/</u>
<u>अपर सत्र न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः नरेन्द्र पाल राणा, "उच्चतर न्यायिक सेवा"
(Judicial Officer ID No. UP01592)
जमानत आवेदन संख्याः- 876/2026
(CNR No.- UPET010025162026)

सूरज उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम पधौरा, थाना जलेसर, जिला एटा।
..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

1. उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), एटा।
2. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, एटा।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।
4. वादिया मुकदमा, निवासी ग्राम पधौरा, थाना जलेसर, जिला एटा।

.....अभियोजन पक्ष

धारा– 70(2), 137(2)बी0 एन 0 एस 0
व धारा 5 जी/6 पॉक्सो एक्ट
अ०सं०– 140/2026
थाना– जलेसर, जिला एटा

<u>12.05.2026</u>

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र, मय शपथ पत्र, अभियुक्त सूरज की ओर से मु0 अ०सं० 140/2026 अन्तर्गत धारा 70(2), 137(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 5 जी/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना जलेसर, जिला एटा के अभियोग में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न शपथ पत्र के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा की बेटी पीड़िता दिनांक 27.03.2026 को समय करीब 07.00 बजे अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने ऊंचा गांव गयी थी। गांव की सभी लड़कियां वापस समय करीब 09 बजे रात्रि में आ गई। किन्तु उसकी बेटी जो कि उम्र करीब 15 वर्ष है, मेला से वापस नहीं आयी। उसने उसकी सहेली बवली से जब नेहा के बारे में पूछा तो बवली ने बताया कि वह तो मेले से घर की बोलकर पहले ही आ गई थी। फिर उसने मो.नं. 9027124719 पर फोन किया, तो उसने बताया कि वह गांव के ही सूरज पुत्र विनोद कुमार के साथ है और सूरज उसे बछेपुरा बम्बा के पास ले गया, तभी सूरज के दो दोस्त जिनके नाम उसकी बेटी को नहीं पता, ने उसकी बेटी के साथ में गलत काम किया। उसकी बेटी ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले सूरज ने भी गलत काम किया था। वह अपनी बेटी को लेकर थाने आई है। उसकी बेटी का मेडीकल करा आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमा में पार्टीबंदी व रंजिश के कारण झूठा फसाया गया

Digitally signed by NARENDRA PAL RANA
Date: 2026.05.12 12:19:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। उसने मुकदमा उपरोक्त से संबंधित कोई कृत्य नहीं किया है,वह पूर्णतः निर्दोष है। अभियजोन कहानी झूठी एवं मनगढ़ंत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का उपरोक्त मुकदमा से कोई सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को थाना पुलिस द्वारा राजनैतिक पार्टीबंदी की वजह से साज पुलिस कर झूठा फंसाया गया है। थाना पुलिस जलेसर आवेदक को बहाने थाने लेकर आई और उपरोक्त मुकदमा में झूठा चालान कर दिया। वह जिला कारागार एटा में निरूद्ध है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिया मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीड़िता को उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से बहला फुसलाकर भगा ले जाने, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्संग/गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं अजमानतीय है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. उभय पक्षों के कथनों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा केस डायरी के साथ पीड़िता की आयु के बावत प्रधानाचार्य,श्री रामस्वरूप इण्टर कॉलेज, सराय नीम,थाना जलेसर,जिला एटा द्वारा जारी अस्थाई प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 10.11.2012 अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 27.03.2026 की होना बतायी गयी है। अतः पीडिता के उक्त शैक्षणिक प्रपत्र के आधार पर पीड़िता की आयु घटना के समय लगभग **13 वर्ष 04 माह 17 दिन** होती है, जिसके अवलोकन से पीड़िता प्रथम दृष्टया घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क प्रतीत होती है। पीड़िता की आयु के बावत उसका कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर संलग्न है। जिसके अनुसार घटना की दिनांक को पीड़िता की आयु 15 से 16 वर्ष के मध्य होना अंकित है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आयु निर्धारण करते समय यदि स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड द्वारा हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा सम्तुल्य प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध है, तो उसे वरीयता दी जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता की आयु के बावत प्रधानाचार्य,श्री रामस्वरूप इण्टर कॉलेज, सराय नीम,थाना जलेसर,जिला एटा द्वारा जारी प्रमाण पत्र केस डायरी के साथ संलग्न हैं, जिसके आधार पर पीड़िता प्रथम दृष्टया नाबालिग प्रतीत होती है।

8. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा वादिया मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीड़िता को उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से बहला फुसलाकर भगा ले जाने, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्संग/गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करने जैसे गम्भीर अपराध कारित करने का अभियोग है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पीड़िता ने अपने बयान 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में दिनांक 27.03.2026 को समय करीब 7 बजे अपनी सहेलियो के साथ मेला देखने जाने,वहां पर सूरज का मिलने,दोनो का बछैपुरा बम्बा पर जाने, वहं दो लडकों द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम(बलात्कार) करने,घटना वाले दिन सूरज द्वारा गलत काम नहीं करने,कुछ दिन पहले सूरज द्वारा गलत काम करने का कथन किया है। जबकि पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में दिनांक 27.03.2026 को अपने भईया सूरज के साथ मेले से वापस आने,रास्ते में दो लड़कों द्वारा अभियुक्त सूरज की मारपीट करने,पीड़िता के साथ दो लड़कों व सूरज द्वारा कोई भी छेड़छाड़ या बलात्कार नहीं करने का कथन किया है। केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत घटना दिनांक 27.03.2026 रात्रि 09 बजे की होना कथन किया गया है। पीड़िता द्वारा धारा 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा घटना से पहले गलत काम किया गया था। प्रकरण में दो अन्य अभियुक्त द्वारा भी घटना

की तिथि को गलत काम किया जाना कथन किया गया है। प्रकरण में विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 189 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 की आख्या प्रेषित की गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2026 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए उसे निरस्त किया था तथा विवेचक को प्रकरण में अग्रिम विवेचना हेतु निर्देशित किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सूरज के द्वारा विवेचक को यह बयान दिया गया है कि दो लड़कों प्रांशू व मैसी ने डरा धमका कर बारी–बारी से पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। अब आवेदक/अभियुक्त इस दायित्व के अधीन था कि यदि उसकी उपस्थिति में बालक के साथ कोई लैंगिक अपराध कारित किया गया था, तो उसे इसकी सूचना थाने पर देनी चाहिए थी, जो उसके द्वारा नहीं दी गई। धारा 189 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 की आख्या के निस्तारण के समय न्यायालय द्वारा पीड़िता की मां को तलब किया गया था। जिस पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि अभियुक्त उसकी जेठानी का पुत्र है तथा जेठानी उसके घर पर आई थी और उसने न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि सूरज जेल से छूट जाए। इस प्रकार अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर साक्षीगण को प्रभावित करने की पूर्ण सम्भावना है। पीड़िता की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या पत्रावली पर दाखिल है, जिसमें पीड़िता की पैंटी पर शुक्राणु पाए गए हैं। अभियोजन कथानक विचारण का विषय है। अभियुक्त तथा पीड़िता की आयु के मध्य लगभग 8 वर्ष का अंतर है। ऐसे में अभियुक्त/आवेदक को जमानत दिये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

9. अतः ऐसी स्थिति में मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को उक्त अपराध में जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त सूरज उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम पधौरा, थाना जलेसर, जिला एटा का यह जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

10. मु0 अ०सं० 140/2026 अन्तर्गत धारा 70(2), 137(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 5 जी/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना जलेसर, जिला एटा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **सूरज** की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(नरेन्द्र पाल राणा)
विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव कोर्ट, पॉक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, एटा
(J.O.ID No. UP01592)

दिनांक–12.05.2026